



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271701  
CG-DL-E-10042026-271701

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 246]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 266(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 230(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- (i) पृष्ठ संख्या 100 पर, भाग क-बीएस में, स्तंभ 1 के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर शीर्षक में, "क्विटी" शब्द के स्थान पर "इक्विटी" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) पृष्ठ संख्या 111 पर, भाग क-पी एवं एल के, पंक्ति 15 के बाद, "घड." शब्द के स्थान पर अंक "16" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (iii) पृष्ठ संख्या 125 पर, अनुसूची बीपी में, पंक्ति 37 में, अंक और अक्षर "36 + 36x" को अंक और अक्षर "35 + 36x" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) पृष्ठ संख्या 131 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति क के अंतर्गत, उप-पंक्ति (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

8.	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि का हस्तांतरण, (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क + क8ख + क8ग)	क8
----	---	----

- (v) पृष्ठ संख्या 132 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद ख(4)(i) और पंक्ति मद ख(4)(ii) को हटा दिया जाएगा;
- (vi) पृष्ठ संख्या 134 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति ख(क) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या Iकाii" को शब्द और अंक "क्रम संख्या Iकाiii" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) पृष्ठ संख्या 135 पर, अनुसूची सीजी के, भाग ई में, शब्द और अक्षर "ख12क" को शब्द और अक्षरों "ख11क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) पृष्ठ संख्या 136 पर, अनुसूची-112क में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (ix) पृष्ठ संख्या 136 पर, अनुसूची-115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक में, स्तंभ (1ख) को हटा दिया जाएगा;
- (x) पृष्ठ संख्या 143 पर, अनुसूची यूडी में, पंक्ति iv में, स्तंभ (4) और (7) के अंतर्गत, अंकों और अक्षरों "(बीएफएलए का 3xvi)" और "(बीएफएलए का 4xvi)" के स्थान पर, अंक और अक्षर "(बीएफएलए का 3xv)" और "(बीएफएलए का 4xv)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) पृष्ठ संख्या 152 पर, अनुसूची एमएटीसी में, पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर, अक्षर "xviii" को "xvii" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[अधिसूचना सं. 61/2026/फा. सं. 370142/9/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th April, 2026

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 266(E).**— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 230(E), dated 30<sup>th</sup> March, 2026:—

- (i) at page number 100, in Part A – BS, in vertical heading under column 1, the word “QUITY” shall be substituted by word “EQUITY”;
- (ii) at page number 111, in Part A – P & L, after row 15, the words “DE” shall be substituted by figures “16”;
- (iii) at page number 125, in schedule BP, in row 37, figures and letter “36 + 36x” shall be substituted with figures and letter “35 + 36x”;
- (iv) at page number 131, in schedule CG, under row A, for sub-row (8), the following sub-row shall be inserted, namely,—

8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, ( <i>Fill up schedule PTI</i> ) ( <i>A8a + A8b + A8c</i> )	A8
---	---	----

- (v) at page number 132, in schedule CG, row item B(4)(i) and row item B(4)(ii) shall be omitted;
- (vi) at page number 134, in schedule CG, in row B(A), words and figures “sl. no. 1aii”, shall be substituted with words and figures “sl. no. 1aiii”;
- (vii) at page number 135, in Schedule CG, in Part E, the words and letters “B12a” shall be substituted with words and letters “B11a”;
- (viii) at page number 136, in schedule-112A, column (1b) shall be omitted;
- (ix) at page number 136, in schedule-115AD(1)(b)(iii) proviso, column (1b) shall be omitted;
- (x) at page number 143, in Schedule UD, in row iv, under the column (4) and (7), for the figures and letters “(3xvi of BFLA)” and “(4xvi of BFLA)”, the figures and letters “(3xv of BFLA)” and “(4xv of BFLA)” shall be substituted;
- (xi) at page number 152, in schedule MATC, for row 5 and 6, letters “xviii” shall be substituted with “xvii”.

[Notification No. 61/2026/F. No. 370142/9/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.